

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र. 1662/16 (एस) राजवती वि. गवालिया विरुद्ध राजवती

—00—

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक/प्रचार्य उच्च शिक्षा गवालिया से प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1662/16 (एस) की याचिका प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिनांक 19-2-2016 से है।
2. प्रकरण में राजवती संचालक उच्च शिक्षा गवालिया को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है। कृपया अनुमोदन करना चाहें साथ ही यदि मान्य हो तो प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की स्वच्छ प्रतियों पर हस्ताक्षर करना चाहें।

चाहें।

S.O.

आयुक्त/सचिव महोदय

वि.क.अ.(न्या.प्रकोष्ठ)

मुपार्,

प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु स्वयं प्रति पर दृष्टाव है के लिए धन्यवाद।

9/3/16

9/03/16

जाबक क्रमांक 486-487
9-3-2016

0

जाबक
9/3/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

306/समाप्त/18

परीक्षा क्रमांक

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र. 1662/16 (एस) राजकी
किारा विरुद्ध शासन

—00—

सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक 486487
दिनांक 9-3-2016 में अतिरिक्त संचालक/प्रचार्य उच्च शिक्षा शासन
समस्त संभाग उवालिमा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त
किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर
अभित करना चाहे।

उपरोक्त,
A- प्रतिरक्षण हेतु नस्ती विधि - विभाग
को अभित करना चाहिए।

आयुक्त/सचिव महोदय

विधि विभाग

समाकान्त उमराव
सचिव/आयुक्त
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

CHIEF
IL No. 315
22/3/16
22/3/16

(8496)

2

C-171

**IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR**

W.P. NO. 1662/2016

PETITIONER

Rajwatt Kirar Dia Shri Mahendra Singh

Versus

RESPONDENTS

The State of M.P. & others

LIST OF EVENTS

DATE	PARTICULARS	ANNEXURES
2007	Petitioner completed her post graduation in Hindi Literature with 426 marks out of 800, (i.e. 53.5 %).	
2015	University Grant commission conducted the National Eligibility Test (NET). Considering the Backwardness and other constraints of the OBC candidates, the minimum eligibility criteria which was 55% for General was relaxed by 5%. And 50% minimum marks in post graduation was fixed for SC/ST/OBC candidates to appear in NET Exam.	
	Petitioner as an OBC candidate, appeared and qualified the NET Exam for being eligible for the appointment to the post of Assistant Professor	
19-02-2016	The Respondents issued the impugned advertisement to fill the sanctioned vacant post of the Assistant professor wherein the General and OBC candidates are treated at par and the benefit of 5% relaxation has not been extended to the OBC candidate/ petitioner. Hence Petition.	

Date: - 01-03-2016
Gwalior

SIGNATURE OF PETITIONER
THROUGH COUNSEL:

(NARENDRA SINGH KIRAR)
Advocate

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 486/306/मा.प्र.०/2016 दि. 9-3-2016
सिविल प्रक्रिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा
-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनीति संचालक उच्च
शिक्षा विभाग को याचिका क्रमांक 506/मा.प्र.०/1662/2016
(पक्षकारों के नाम) राजवती किरा पेटू शाह

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- 2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- 4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।
- 5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-
 - 1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।
 - 2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।
 - 3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
 - 4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- 6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।
- 7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
- 8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।

- 9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों।
- 10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।
- 11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद/सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे।
- 12/ महत्वपूर्ण/नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- 13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9-3-2016

पू0फ0
प्रतिलिपि:-

487/ उशिवि/मंत्रालय/न्याय/2016

- 1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म0प्र0 जयपुर/बन्दौर/गवालियर संभाग म.प्र. की ओर।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्यालय भवन भोपाल
- 3/ संबंधित जिलाध्यक्ष, गवालियर, मध्यप्रदेश।
- 4/ इतिवृत्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- प्रभारी अधिकारी को और अर्पित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।
- 5/ राष्ट्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल